राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

क्रमांक : एफ.1(ए)(1)आरबी/2025/ 1579 दिनांक 28 मार्च, 2025

परिपत्र

यह संज्ञान में आया है कि कुछ प्रशासनिक विभागों एवं विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण/कुलसचिवगण द्वारा इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रों/अर्द्ध शासकीय पत्रों का जवाब समय पर प्रस्तुत नहीं कर रहे है एवं जिन पत्रों/अर्द्ध शासकीय पत्रों में तय समय–सीमा निर्धारित की जाकर, जवाब चाहा जाता है, उनका भी प्रत्युत्तर समय पर नहीं दिया जा रहा है। विभागों एवं विश्वविद्यालयों द्वारा इस प्रकार इस सचिवालय के पत्रों का प्रत्युत्तर समय पर प्रेषित न करना इस सचिवालय के आदेशों की उपेक्षा प्रतीत होती है। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा उक्त प्रकरण को गंभीरता से लिया गया है।

माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के निर्देशानुसार उक्त परिपत्र के जारी किये जाने के दिनांक से इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रों/अर्द्ध शासकीय पत्रों का जवाब अधिकतम पांच कार्य दिवस एवं जिन पत्रों में समय–सीमा निर्धारित की गई है, उसका जवाब निर्धारित समयावधि में भिजवाया जाया सुनिश्चित करावें।

अतः समस्त प्रशासनिक विभागों एवं विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण/कुलसचिवगण द्वारा उक्त निर्देशों की पालना अक्षरशः न किये जाने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ. पृथ्वी)
सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान

D:\GOVT. UNIV\Important\Orders, Circulars & Meeting notices.docx

क्रमांक : एफ.1(ए)(1)आरबी / 2025 / 1580 दिनांक : 28 मार्च, 2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख विशेषाधिकारी, माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
9. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
13. कुलपतिगण, समस्त राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
14. कुलसचिवगण, समस्त राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
15. रक्षित पत्रावली।

सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान

D:\GOVT. UNIV\Important\Orders, Circulars & Meeting notices.docx